न्यायालय अति0जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी–रामकिशोर मीना

प्रार्थना पत्र – 33/25 तारीख रज्जू–16/01/25

1 तहसीलदार गंगापुर सिटी । —— प्रार्थी

बनाम

1. सूबेदार बी0पी0 छत्री एस0पी0 कम्पनी पुत्र नामालूम जाति छत्री निवासी अरनिया।
– अप्रार्थी

निर्णय दिनांक– 05/08/2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 नियम 14 (4) के अर्न्तगत प्रस्तुत कर अप्रार्थी को ग्राम अरनिया के ख0नं0 142 रकबा 2 बीघा किस्म बंजड़ खारडा, खं0नं0 143 रकबा 24 बीघा 13 बिस्बा किस्म बंजड़ खारड़ा में से 143/1 रकबा 10 बीघा भूमि आवंटन निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी का पूर्ण पता नहीं उपलब्ध करवाने के कारण प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि जमाबन्दी संवत् 2028–31 ग्राम अरनिया में ख0नं0142 रकबा 2 बीघा किस्म बंजड खारड़ा खं0नं0 143 रकबा 24 बीघा 13 बिस्बा किस्म बंजड़ खारड़ा सिवायचक लगानी दर्ज है। ग्राम अरनिया के ख0नं0 142 रकबा 2 बीघा किस्म बंजड़ खारडा, खं0नं0 143 रकबा 24 बीघा 13 बिस्बा किस्म बंजड़ खारड़ा में से 143/1 रकबा 10 बीघा अप्रार्थी को आंवटन हुआ । जिसका अमल जरिये नामान्तकरण सं0 82 निर्णय दिनांक 16.05.1975 से गैर खातेदार दर्ज हुआ। मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध सं0 2039 से गत खसरा नम्बर 142 रकबा 2 बीघा से हाल खसरा नम्बर 471/1217 रकवा 0.49 है0 व गत खसरा नम्बर 143 मि0 रकबा 10 बीघा से हाल खसरा नम्बर 471 रकवा 2.00 है0 बने है। भूप्रबन्ध खतौनी सम्बत 2039 के खाता सं0 188 पर अंकित खसरा नम्बर 471 रकबा 2.00 है0 व खं0नं0 471/217 रकबा 0.49 है0 किस्म बंजड़ अप्रार्थी गैर खातेदार दर्ज है। ग्राम अरनिया की वर्तमान जमाबन्दी स्थायी वर्ष

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:51:31 IST
Reason: SelfAttested

2018 के खाता सं0 273 में अंकित खसरा नम्बर 471 रकबा 2.00 है0 व ख0नं0 471/1217 रकबा 0.49 है0 अप्रार्थी गैर खातेदार दर्ज है। गत खसरा नम्बर 143 मि0 हाल खसरा नम्बर 471 मुताबिक खरारा गिरदावरी सम्वत् 2029 से संवत् 2077 तक पड़त रहा है। संवत् 2078,2079 में फसल दर्ज है व गत खसरा नम्बर 142 हाल खसरा नम्बर 417/1217 मुताबिक खसरा गिरदावरी संवत् 2029 से 2057, 2059, 2062 से 2077 तक पड़त रहा है। संवत् 2058,2060,2061,2078,2079 में फसल दर्ज है। अप्रार्थी द्वारा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो को उल्लंघन किया है, साथ ही प्रार्थी ने उक्त आवंटन आदेश निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी पक्षं की बहस सुनने, उस पर मनन करने व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी पक्ष के तथ्यों के आधार पर उक्त वाद आराजीयात अप्रार्थी को आवंटित हुई थी तथा गत खसरा नम्बर 143 मि0 हाल खसरा नम्बर 471 मुताबिक खसरा गिरदावरी सम्वत् 2029 से संवत् 2077 तक पड़त रहा है व गत खसरा नम्बर 142 हाल खसरा नम्बर 417/1217 मुताबिक खसरा गिरदावरी संवत् 2029 से 2057, 2059, 2062 से 2077 तक पड़त रहा है। जो आवंटन शर्तो का उल्लधंन है। लेकिन प्रार्थी पक्ष द्वारा जिस आवंटन को निरस्त करने हेतु न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। उक्त आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति/छायाप्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं की गई है। ना ही अप्रार्थी का पूर्ण नाम पता अंकित किया है। ऐसी स्थिती में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र त्रुटिपूर्ण होने के कारण स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी को प्रार्थना इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह संबंधित आवंटन आदेश मय आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति तथा आंवटी का पूर्ण स्पष्ट नाम व पता अंकित सहित पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 05/08/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:51:31 IST
Reason: SelfAttested